गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर – 495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752-260017 फैक्स : 07752-260154
वेबसाइट : www.ggu.ac.in

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central Universities Act, 2009)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone 07752-260017, FAX : 07752-260154
Website : www.ggu.ac.in

क्र. 1987 / प्रशा / स्था. / 2016 बिलासपुर, दिनॉक : 19-12-2016

प्रति,

1. समस्त अधिष्ठातागण, समस्त अध्ययनशालायें
2. समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त शैक्षणिक विभाग
3. समस्त अधिकारीगण, समस्त गैरशैक्षणिक विभाग
   गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 26 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रारंभिक रुप में प्रारुपित द्वितीय परिनियमों के प्रारुपों के समुचित परीक्षण, अभिमत, सुझाव एवं अन्य सम्यक कार्यवाही के सबंध में।

संदर्भः– विश्वविद्यालय कार्यालयीय ज्ञाप क्र. 1562 / प्रशा. / स्था / 2016 दिनॉक 25.10.2016 के द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों के प्रारुपों हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत द्वितीय परिनियमों के प्रारुपों का संकलन।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित कार्यालयीय ज्ञाप द्वारा गठित समिति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय के द्वितीय परिनियमों का प्रारुपण कर संकलन प्रस्तुत किया है।

उक्त संकलन को आपके अवलोकनार्थ निम्नानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है :–

1. विभिन्न अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागण कृपया प्रारुप क्र. 01 से प्रारुप क्र. 09 तक प्रारुपित द्वितीय परिनियमों का केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की संदर्भित / सुसंगत धाराओं के अंतर्गत परीक्षण कर विभिन्न प्रारुपों पर अपने सुझाव / अभिमत प्रारुप संख्या एवं पृष्ठ संख्या सहित कृपया दिनॉक 05.01.2017 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सुझाव एवं अभिमत लिखित रुप में प्रेषित करने के अतिरिक्त ई–मेल(e-mail: ggv.registrar@gmail.com and hnc.jrggv@gmail.com) के माध्यम से भी कृपया प्रेषित करेगें।
2. यदि अधिष्ठातागण अपनी ओर से किसी परिनियम को पृथक से प्रारुपित कर प्रेषित करना चाहें तो वे वैसा कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि अधिष्ठातागण किसी परिनियम को किसी अन्य परिनियम से प्रतिस्थापित करना चाहें तो इस संबंध में औचित्य प्रतिपादित करते हुये प्रतिस्थापित परिनियम का प्रारुप भी प्रेषित कर सकते है।
3. विभिन्न शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्षगण कृपया प्रारुपों पर अपने विभाग में कार्यरत नियमित शिक्षकों के सुझावों एवं अपने स्वयं के सुझावों / अभिमत कृपया दिनॉक 05.01.2017 तक इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। सुझाव एवं अभिमत बिन्दु क्र. 01 में उल्लेखित ई–मेल पतों पर भी भेजने का कष्ट करें।
4. इसी प्रकार विभिन्न गैरशैक्षणिक विभागों के अधिकारीगण कृपया प्रारुपों पर अपने विभाग में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सुझावों एवं अपने स्वयं के सुझावों / अभिमत कृपया दिनॉक 05.01.2017 तक इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। सुझाव एवं अभिमत बिन्दु क्र. 01 में उल्लेखित ई–मेल पतों पर भी भेजने का कष्ट करें।
5. विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी (CSIT) कृपया उक्त प्रारुपों को विश्वविद्यालय के वेब पटल पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित कर विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों / शिक्षकों के अभिमत / सुझाव (जो देना चाहते हैं) दिनॉक 05.01.2017 तक आमंत्रित किये जाने की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्तानुसार कृपया अपने नियंत्रणाधीन पदस्थ / कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों / शिक्षकों को इस संबंध में सूचित करने का कष्ट करें

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.क्र. 1988 / प्रशा / स्था. / 2016 बिलासपुर, दिनॉक : 19-12-2016

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलपति महादेया / कुलसचिव महोदय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विश्वविद्यालय कार्यालयीय ज्ञाप क्र. 1562 / प्रशा. / स्था / 2016 दिनॉक 25.10.2016 के द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों हेतु गठित समिति के संयोजक एवं सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय प्रति।

संयुक्त कुलसचिव (प्रशा.)